प्रस्तावना

हर मनुष्य लिंग से स्त्रीय या पुरूष होता है। अपने समाजिक व्यवहार में व्यक्ति जो हिस्सा लेता है उसे ही हम 'भूमिका' कहते हैं। इस प्रकार महिला और पुरूष भिन्न-भिन्न भूमिकांए आद करते है। लिंग-जन्य भूमिका वह भूमिका है जिसे वह अपने लिंग के कारण आद करता है। कालांतर में इसे लिंग-जन्य भूमिका रूढ़ि प्ररूपों की जन्म होता है। मगर वहीं महिलांए जो भी करती है उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है।

लंबे समय तक यह माना जाता था कि स्त्री और पुरूष के शारीरिक भेद का उनमें विद्यमान भावनात्मक और बौद्धिक भेदों और उनकी शारीरिक क्षमताओं में पाए जाने वाले भेदों से घनिष्ठ संबंध है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में पुरूषों और महिलाओं को कार्य और भमिकांए सौंपी गई थी उन्हें भी उनकी शारीरिक क्षमताओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा माना जाता था।

पितृसत्ता का मतलब पुरूष को हितों की साधना करना है। लिंग-जन्य भूमिकाओं का विभाजन कुछ इस तरह से किया गया है कि उसमें पुरूषों का दायित्व उत्पादन तो महिलाओं का दायित्व प्रजनन है। स्त्री अपने घर में जो अवैतनिक अनदेखा कामकाज करती है उसे पुरूषों द्वारा घर से बाहर किए जाने वाले कार्य से तुच्छ समझा जाता है। महिलाओं को कामवासना की दृष्टि से असुरक्षित और कमजोर माना जाता है। इसलिए कई समाजों में उन पर कई किस्म के अंकुश लगा दिए जाते हैं और उनमें प्रचलित रस्मों और वर्जनाओं को उनके जीवन की विभिन्न जैविक घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है।

मानवशास्त्र का शाब्दिक अर्थ 'मानव का विज्ञान' है। वास्तव में यह शाब्दिक अर्थ अत्यंत व्यापक और समान्य है। इसे हम मानव और उसके कार्यों का अध्ययन कह सकते हैं। लेकिन मानव का अध्ययन सिर्फ मानवशास्त्र में ही नही बल्कि सामाजिक विज्ञान में भी इसका अध्ययन किया जाता है। परन्तु मानवजाति के जन्म से लेकर वर्तमान काल तक

मानव और उसके कार्यो का जितना विस्तरित अध्ययन मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है उतना और किसी विज्ञान के क्षेत्र में नही किया जाता।

सर्व श्री जेकब्स तथा स्टर्नके अनुसार "मानवशास्त्र में मनुष्य जाति के जन्म से लेकर वर्तमान काल तक मानव के शारीरिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहारिक - वैज्ञानिक अध्ययन हैं।"

श्री. क्रोबर के अनुसार, "मानवशास्त्र मनुष्यों के समुहों, उसके व्यवहार और उत्पादन का विज्ञान है।"

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानवशास्त्र, सृष्टी के प्रारंभ से लेकर जब-तक मानव जाति के समग्र रूप का वह विज्ञान है जो उसके शारीरीक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्‌विकास का अध्ययन करता है।

समस्त सजीव सृष्टि में मनुष्य की विशेषता सुस्पष्ट है। सांस्कृतिक विकास के निम्नतम स्तर पर भी कुछ न कुछ औजारों तथा अन्य भौतिक वस्तुओं भोजन प्राप्त की प्रविधियों किसी रूप में श्रम विभाजन सामाजिक तथ राजनैतिक संगठन धर्म तथा संस्कार, विचार विनिमय के लिए भाषा आदि का अधिकारी रहा है। इस शब्दों में उच्चतम पशु समाज में भी नितांत दुर्लभ है यह समस्या विभिन्नताओं का अध्ययन मानवशास्त्र के अन्तर्गत होता है। स्वयं मानव के विभिन्न समूह या प्रजातियों में भी अनेक शारीरिक तथा सांस्कृतिक भेद पाये जाते है। आज जितनी भी प्रजातियाँ -उपप्रजातियाँ भुमण्डल पर रह रही हैं, वे सभी एक ही जाति के सदस्य हों और उन्हें कुछ सामान्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक-दुसरे से पृथक किया जा सकता है।

मानवशास्त्र का संबंध प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज के मानव से है क्योंकि मानवशास्त्र का अध्ययन विषय समग्र रूप से मानव है। मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत मनुष्य जाति के शरीर, समाज तथा संस्कृति से सम्बन्धित समस्त विषयों का समावेश है। मानवशास्त्र का अध्ययन मानव एवं समाज है। इसके अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत

भूतकाल तथा वर्तमान काल, आदिमकालीन तथा सभ्य मानव व समाज दोनों ही आ जाते है। मानवशास्त्र, मानव का ज्ञात है, चाहे वह मानव आदिकालीन हो या सभ्य युग का चाहे वह मानव चीनी या जापानी या भारतीय या अफ्रीकी या अमेरिकी कीसी भी समाज का सदस्य क्यों न हो। इसप्रकार मानव समाज के प्रारंभ से लेकर वर्तमान काल-तक के शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृति उद्विकास के विभिन्न पक्ष मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में आते है।

मानवशास्त्र की सांस्कृतिक मानवशास्त्र, सामाजिक, मानवशास्त्र में उत्पत्ति, विकास, शारीरिक विशेषताएँ, वंश एवं उसके प्रकार आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक मानवशास्त्र में रिवाज,कला,साहित्य,सामाजिक,आर्थिक,राजनैतिक संगठन एवं सस्थाएं इन सबके नियमों का अध्ययन मानवशास्त्र के विषय क्षेत्र में है।

जनजाति की परिभाषाएं

गोत्र का एक विस्तृत स्वरूप जनजाति है। यह खानबदोशी जत्थे, झुण्ड, गोत्र, भ्रातृदल एवं मोइटी से अधिक विस्तृत एवं संगठन होती है। जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वन्यजाति, गिरीजन एवं अनुसुचित जनजाति आदि नामों से पुकारा जाता है। जनजातियों की विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी है।

1. 'जनजाति' समान नाम धारण करने वाले परिवारों का एक संकलन है, जो समान बोली बोलते हों, एक ही भुखण्ड पर अधिकार का दावा करते हों अथवा दखल रखते

हों जो साधारणतया अन्तर्विवाही न हों यद्यपि मूल रूप में चाहे वैसे रह रहे हों। - **रियल गजेटियर ऑफ इण्डिया**

2. 'जनजाति' विकास के आदिम अथवा बर्बर आचरण में लोगों का एक समूह है जो एक मुखिया की सत्ता स्वीकारते हों तथा साधारणतया अपने एक समान पुर्वज मानते हो। - **ऑक्सफोर्ड शब्दकोश**

3. "स्थानीय आदिवासीयों का किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है, एक सामान्य भाषा बोलता हो तथा सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता है" -**गिलिन एवं गिलिन (1848)**

4. **डॉ. रिवर्स** के मतानुसार, जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं।

5. **डॉ. मुजुमदार (1867)** लिखते हैं कि, "एक जनजाति परिवारों अथवा परिवारों के समुहों का संग्रह है जिसका एक सामान्य नाम होता है जिसके सदस्य एक निश्चित भु-भाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योगों के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं।"

6. **हॉबल** का कथन है कि जनजाति एक सामाजिक समूह है जो विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है जो उन्हें दूसरे जनजातीय समुहों से पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है।

7. **चार्ल विनिक** ने जनजाति की परिभाषा करते हुए लिखा है "जनजाति में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सुत्र में बांधने (Unifying) वाला सामाजिक संगठन आता है। यह सामाजिक उपसमूहों जैसे गोत्रों या गांवो को सम्मिलित कर सकता है"।

8. **रॉल्फ विडिंगटन** में जनजाति का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, "हम एक जनजाति की व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं, जो कि समान भाषा बोलता हो, समान भूभाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति में समरूपता पायी जाती हो।"

उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव-समूह है। जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनितिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यत: अन्तर्विवाह के नियमों का पालन करता है।

इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया ऑक्सफोर्ड शब्दकोश, गिलिन एवं गिलिन, डॉ. रिवर्स, डॉ. मुजुमदार, हॉबल, चार्ल विनिक, रॉल्फ विडिंगटन आदि ने भी जनजाति की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर जनजातियों की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है।

भारत में महिलाएं

जहां एक ओर पत्नी के रूप में महिलाओं की भूमिका के लिए सख्त निर्देशन हैं और उनसे माता के रूप में अलौकिक अपेक्षाएं की जाती हैं िजसे सामान्यताया भारतीय समाज में कहिलाओ के उत्पीड़न और शोषण के कारण के रूप में देखा जाता है। इसी समय समकालीन समाज में पेशों, राजनीतिऔर सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विष्व में अनेक महिलाओं को उलब्ध सांस्कृतिक स्थान से कहीं अधिक उपलब्ध स्थान की ओर इंगित करता है। यदि हम भारतीय समाज में महिलाओं की इन विरोधाभासी पहचाने की जपंच करें, उदहारण के लिए िहन्दु महिला की तोयह स्पष्ट है कि धार्मिकग्रंथों में (लिंग (जेंडर) विषयक भूमिकाओं की रूढिबद्ध रचना के लिए एक अभिकर्ता) भारतीय महिलाओं की इस िवरोधाभासी पहचानों का औचत्य है।

महिलाएं चाहे वे देवीहों या मानव को उर्वर और कृपालु तथा साथ ही उतना ही आक्रमक एवं दुष्ट हृदय माना जाता है। शरण देने वाला या विनाशकका द्वैध चरित्र उन्हें समृद्धिया विनाश लोन की शक्ति प्रदान करता है। एक ही व्यक्ति के इन दो विरोधाभासी (ब्रह्माण्ड को ऊर्जा प्रदान करने वाली मूल स्त्रोत) और प्रकृति (ब्रह.माण्ड का अविभेदित तत्व) दोनों है।

जहां स्त्री प्रकृतिऔर पुरूषों को संस्कृति के रूप में विरोधी ऊर्जा की दृष्टि से पहचानी जाती है, पहचान के द्वारा महिलाओं को पुरूषों की तुलना में गौण समझा जाता है। इस प्रकृति-संस्कृति द्वैधता के द्वारा महिलाओं को चंचल, अनियंत्रित शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है और पुरूषों को विभेदित तथा आकार का प्राणि समझा जाता है। इस प्रकार यद्यपि स्त्री मूल तत्व शक्ति और सत्ता धारण करती है वैचारिक दृष्टि से यह माना जाता है कि सिर्फ पुरूष महिलाओं पर नियंत्रण करते हैं। देवियों का घरेलूकरण और उनका उत्कर्ष नियत करता है कि महिलाओं को अधिक नियंत्रण स्वीकार करना चाहिए। यह अन्यथा शक्तिशाली तथा खतरनाक स्त्री छवि पर नियंत्रण के लिए पितृसत्तात्मक संस्कृति की सामर्थ्य को न्यायोचित ठहराता है और यह नारी वर्ग की शक्ति की इस सांस्कृतिक मान्यता के अंदर ही है कि कुछ महिलाओं ने अपने बंध से निकलने का रास्ता निकाल लिया है।

जनजातीय महिलाओं की स्थिति सम्बन्ध में विद्वानों के विचार निम्नलिखित है।

1) **मेलिनोवस्की - (1920)** के अनुसार "जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण लिंगों (Sexes) के बीच परस्पर कर्तव्य और दूसरे का उच्चखल (High Wanded) के विरूद्ध प्रत्येक लिंग की सुरक्षा के लिए प्रदान बचाव पर विचार के बाद ही किया जा सकता हैं।"

2) **प्रसिद्ध मानवशास्त्री लेवी (1948)** के अनुसार "जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति को चार संदर्भों में विचार किया जा सकता है। वे - निश्चित प्राप्त आचरण

(Behaviour),कानूनी स्थिति, सामाजिक भागीदारी या हिस्सेदारी का सुअवसर तथा चरित्र (Charector) ”

3) **मदन और मजुमदार (1956)** उनके अनुसार “महिला की स्थिति सभी प्रकार के समाज में विशेषकर पुरूष प्रधान समाज में, विभिन्न प्रकार के निषेध(Taboo) जो महिलाओं का सामान्यत: साथ देती है, के द्वारा निर्धारित होता है। ये निषेध सुरक्षात्मक, प्रतिबन्धनात्मक या गुणात्मक होते हैं।”

उपयुक्त विवेचना से जनजातीय महिलाओं की स्थिति पर तो प्रकाश पड़ता है, लेकिन प्रत्येक जनजातीय समाज की अपनी परम्परा है और उसी के अनूरूप महिलाओं की स्थिति का सम्बंध है।

हम सरलता से कह सकते है या यह अनूमान लगा सकते हैं कि गोंड जनजातीय महिला आर्थिक-सामाजिक रूप से बहुत पिछडी हुई है, गरीबी, बेकारी, अशिक्षा के कारण दो समय का भोजन, शरीर ढकने के लिए वस्त्र, शिक्षा से उनका कोई परिचय नहीं और अंधविश्वास, ढोंग और रूढियों ने उनकी चेलता को ग्रस रखा है। इस समाज मे स्त्रियो की स्थिति अत्यन्त दयनीय और सोचनीय है। गोंड समाज में महिलाओं मे जागरूकता न के समान देखने को मिलती है।

उपयुक्त विवेचना से जनजातीय महिलाओ की स्थिति पर तो प्रकाश पडता है, लेकिन प्रत्येक जनजातीय समाज की अपनी परम्परा है, उसी परम्परा के अनुरूप महिलाओ की स्थिति का सम्बंध भी है। पुरूषो और महिलाओं के बीच का संबंध हमेशा मार्गदर्शक रहा है।

जबसे महिलाएं पुरूषो के बराबर समानता के सिद्धान्त का उपयोग सभी क्षेत्रों जैसे - सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शौक्षणिक एंव राजनैतिक आदि में कर रही हैं। और पुराने समय से वर्तमान समय में स्त्रियों के स्थिति मे परिवर्तन हो रहा है।

गोंड जनजातीय महिला

गोंड जनजातीय जगत में महिलायें अधिक सारपूर्ण तरकि से कार्य शक्ति के अनुरूप गैर जनजातीय जगत की अपेक्षा अधिक में योगदान देती हैं। गोंड जनजातीय अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से कृषि का कार्य करती है। पशुपालन शिकार एंव जंगल में जाकर सामग्री भी वे जमा करती हैद्य। 90% प्रतिशत महिला खेती मे मजदूरी या खेतीहर के रूप मे कार्य करती है। इसप्रकार जनजातीय महिलायें न केवल परिवारीक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में ही अग्रणी हैं। बल्कि रक्षा के क्षेत्र मे भी अग्रणी है।

जैननिकी के अनुसार

इनकी स्थिति मुख्यत: सामाजिक स्थिति से संबंधित है, जहां एक निश्चित कार्य के सामाजिक पहलू पर बल दिया जाता है ।

लिटन के अनुसार

स्थिति की धारणा का संबंध नियत कार्य की धारणा में है। नियत कार्य या भूमिका स्थिति की युक्तीयुक्त पहलू है। स्थिति और कार्य को अलग नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित वास्तविकता के बावजुद महिलायें अनुचित श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित है। महिलाओं की स्थितियां समाज मे पुरूषों के समान नहीं है । इतिहास साक्षी है कि महिलायें पुरूषो द्वारा पीड़ित होती है फिर भी आधुनिकता के कारण गोंड महिलाओं के विकास मे परिवर्तन आया है।

गोंड जनजातीय महिलाओं की स्थिति

गोंड जनजातीय महिलाओं की स्थिति उस समाज विशेष में प्रचलित आदर्शों, विश्वासो, मान्यताओं और मुल्यों के आधार पर उन्हें सौंपे गए कार्यो के अनुसार निश्चित होती है। इस ग्राम मे जनजातीय जनसंख्या में 90% महिला अपनी हो मेहनत से अर्जित आर्थिक उपलब्धियों का उपयोग पुरूषो के समतुल्य नहीं कर पातीं समाज में पुरूषो की अपेक्षा उनकी सामाजिक स्थिति निम्न है। इस समाज में महिलाएं खेत जोतना, बीज बोना, निंदाई कटाई इत्यादि खेती के अन्य कार्य भी करती हैं बावजुद इस समाज मे स्त्रियो की स्थिति दयनिय

है। गोंड जाति में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनितीक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि स्थिति का अध्ययन उनकी स्थिति समझने के लिए महिलाओं का अध्ययन करना जरूरी है।

गोंड जाति में महिलओं की सामाजिक स्थिति

आज भी गोंड जाति में महिलाएं रूढ़ीवादी परंपरा का पालन करती हैं। उनका उद्देश्य सामाजिक रहते हुए भी स्वरूप धार्मिक रहता है।

आर्थिक स्थिति

आज भी गोंड महिलाओं का आर्थिक स्तर पिछड़ा है। वो निर्धन हैं उत्पादन के कमी के कारण पैसे की कमी दिखाई देती है।

शैक्षणिक स्थिति

गोंड जाति की महिलाओं की समस्या अन्य जातियों की तरह है। पर उनकी जो युवतियां हैं वे दशवीं तक या स्नातक शिक्षित है।

गोंड जाति की महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता

गोंड जातियों महिलाओं का स्वास्थ्य मध्यम स्तर पर है। महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति कुछ हदतक जागरूक है।

रोज नहाना, कपड़े धोना, दाँत की सफाई, नाखून कटना, शारीरिक जनेन्द्रिय तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक है। उन्हे इन बातों पर ज्ञान देने से ही आरोग्य अच्छा रहता है। उसी प्रकार गर्भवती महिलाये भी स्वास्थ केंद्र द्वार जांच कराती हैं।

जनजातीय महिलाओं का स्वास्थ इतना बुरा नही है परंतु लगातार संक्रामण से वे अक्सर बीमारियों से ग्रस्त रहती हैं और उन्हें बीमारी का समना करना पड़ता है।

1. गोंड जनजातीय महिलाओ में अधिक मात्रा में जल संक्रमक रोग पाए जाते है।
2. खनिज तथा अन्य तत्वों की कमी के कारण जैसे आयोडिन की कमी के कारण, पोषण तत्वो की कमी के कारण अनेक नयी बीमारियाँ पायी जाती है।

3. गर्भावस्था मे योग्य चिकित्सीय पद्धति का न मिल पाना जिसकी वजह से अधिक मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पाया जाती है।

4. तंबाकु, गुटखा का सेवन करने के कारण मुखरोग पाया जाता है।

महिला सताधिकारहीनता के कारण

सशक्तीकरण में रूचि रखने वाले विद्वान जिस मुख्य प्रश्न के समाधान की तलाश में लगे हुए वह यह है कि महिलाओ जैस एक सत्ताधिकारहीतना समूह विशेष की पराधीनता या उत्पीड़न के आखिर क्या कारण है?

एक नजरिया पितृसत्ता को मजिा सत्ताधिकारहीनता का मुख्य कारण मानकर चलता है। इस नजरिए के अनुसा पितृसत्ता एक अतिक्रियाशील सामाजिक लिंग सोच (या नातेदारी) व्यवस्था है जो महिलाओं की भूमिका और संबंधों को तय करती है। पुरूष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों को उनकी पारंपारिक भूमिकाओं में ही देख जाता है जो पुरूषों के नियंत्रण में, उनके अधीन रहती है। अगर कोई स्त्री चाहे कि उसे एक स्त्री के रूप में स्वीकार किया जाए तो उसे अति प्रवीण, अति महत्वाकांक्षी, हावी रहने वाली न हो और वह नारीत्व के गुणों में कम न हो।

दूसरा नजरिया महिला सत्ताधिकारहीनता के एक मुख्य क्षेत्र को लेकर चलता है और इसके अनुसार सबसे आम क्षेत्र घर-परिवार ही है। या नजरिया महिलाओं की जननात्मक या उत्पादक भूमिकाओं को ही केन्द्र मानकर चलता है। से भूमिकाएं स्त्रियां संतान के जनक और गृहणियों के रूप में निभाती हैं। भारतीय परिवारों में लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वे कच्ची उम्र में ही घर के काम-काज संभाल लें। साधारण स्थिति में भी लड़कियों से अपेक्षा यह रहती है कि वे अपनी मां के साथ घरेलू काम-काज जैसे खाना पकाना, बर्तन मांजना, घर की साफ सफाई और छोटे बच्चों यानी अपेन भाई बहनों की देखभाल करें। इसलिए ऐसे समाजों में महिला होने का मतलब ही घर में काम-काज करना और अपनी सभी जरूरतों के लिए पूरी तरह से पुरूषों पर निर्भर रहना है। तीसरा नजरिया कहता है कि महिलाओं को

बहुविध क्षेत्रों में (एक साथ या क्रमवार) पराधीनता या सत्ताधिकारहीनता के अनुभव से गुजरना पड़ता है। ये क्षेत्र हैं घर, कार्यस्थल और अन्य स्थान। घर में स्त्री से आशा की जाती है कि वह परिश्रमशील नारी के पारंपारिक आदर्श की कसौटी में खरी उतरे, जो अपने परिवार के अन्य सदस्यों की खुशहाली के लिए अपने हितों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहे और बदले में कुछ भी नहीं मांगे। इसी प्रकार कार्यस्थल पर उसे अपने कार्य में अत्याधिक प्रवीण नहीं होना चाहिए अन्यथा वह पुरूषों के कोप का भोजन बन सकती है। इस तरह की पराधीनता का मुख्या कारण यह है कि बचपन से स्त्री और पुरूष के बीच भेद कर दिया जाता है। लड़की का समाजीकरण कुछ इस तरह से किया जाता है कि वह विनम्र, आज्ञाकारी और शांत, सहनशील बने।

ये सभी नजरिए कई मामलों में एक-दूसरे से हालांकि भिन्न हैं लेकिन सभी यह मानकर चलते हैं कि स्त्रियों को सिर्फ घर पर नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और संस्थाओं के स्तर पर शक्तिहीनता या लाचारी का अनुभव होता है।

अध्ययन का उद्देश्य

किसी भी लघु-शोध विषय में उसकी वस्तुनिष्ठता और उद्देश्य शोध को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं ।

मेरा लघु-शोध प्रबंध गोंड जनजाति में महिलाओं की स्थिति एवं स्वास्थ्य जागरूकता के जिन मुख्य वस्तुनिष्ठ उद्देश्यों पर केद्रित रहा है वह निम्नालिखित है।

1. गोंड जनजातीय महिलाओं की समाज एवं परिवार में स्थिति का अध्ययन करना - गोंड जनजातीय महिलाओं का समाज एवं परिवार मे स्थान पुरूषो से निम्न है ।

2. गोंड जनजातीय महिलाओ की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनितिक कार्यो मे सहभागिता कम है अशिक्षित महिला होने के कारण वह घर के काम तथा खेत मे काम करने मे ज्यादा वक्त बिताती है।

3. गोंड जाति में महिलाओं की स्वास्थ जागरूकता का अध्ययन करना-

परिवर्तनशील गोंड जनजातीय महिलायें स्वास्थ्य के प्रति कुछ हद तक जागरूक हो रही हैं। गर्भवती महिला का प्रसव सरकारी अस्पताल में होने लगा है।

4. गोंड जनजातीय महिलाओं में आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन करना।

गोंड जनजातीय महिलाओ पर नगरीकरण का प्रभाव होने से उनके पहनावे में बदलाव आया है।

5. गोंड जनजातीय महिलाओं का विस्तृत अध्ययन करना।

प्रत्येक जनजातीय महिला अपने संस्कृति के अनुसार वर्ताव करती है। उनका अपना एक स्वरूप, आकार-प्रकार एवं क्षेत्र आदि होता है। इन सभी बातों का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन का महत्व

स्वतंत्र भारत मे नारीमुक्ति के लिए विभिन्न मापदंड कार्यक्रम तथा व्यवस्था प्रस्तावित है। कुछ समाज विचारको यथा राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर तथा महात्मा गांधी ने नारी उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये तथा समाज सुधार आन्दोलन भी प्रारंभ किया इसका कारण यह था कि समाज निर्माण मे महिलाओ के अमुल्य योगदानो की आवश्यकता महसूस की गयी। महिलाओ का योगदान न सिर्फ घर मे है बल्कि अन्य क्षेत्रों मे भी है । भारतीय समाज मे पुरूषों की प्रधानता की धारणा जिसके नये विचार अवरोधक है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ है। जिसमें भारत सरकार का सन 1971 का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। यह अध्ययन सयुक्त राष्ट संघ के आयोग के

निर्देश पर हुआ था। श्रीमती फुलरेणू गुहा की अध्यक्षता मे काम करने वाले इस आयोग के सदस्यों के सामने देश के विभिन्न समाजों मे स्त्रियों की क्या स्थिति है, इस जटिल विषय से जुझने की समस्या थी। परन्तु "अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष" को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया कि समिति अपनी रिपोर्ट सन 1975 के प्रारंभ में अवश्य दे दे। श्रीमती फुलरेणू गुह के अनुसार- "यह एक बडा कठीन कार्य था।" लगभग 900 पृष्ठो की इस रिपोर्ट में स्त्रियों से सम्बन्धित सारी समस्याओं को सम्मलित कर पाना दुष्कर कार्य था। फिर भी रिपोर्ट मे ये समस्या उभर कर आयी है कुल मिलाकर यह तथ्या सामने आया है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षो के बाद भी सेवैधानिक समानधिकारों की गारंटी के बावजूद भारतीय नारी की दशा दयनीयता से कुछ ही उपर उठ पायी है।

इस प्रकार यह काहा जा सकता है कि सामान्य महिलाओं की स्थिति दयनीय है तो जनजातीय महिलाओ की स्थिति कैसी होगी ? क्योंकि जनजातीय महिलाओ की स्थिति से सम्बन्धित अध्ययनो का अभाव आज भी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जनजातियो के बीच कार्य करना कठिन माना गया है। इसलिए सामाजिक शोधकर्ताओ ने जनजातीय महिलाओं पर कम अध्ययन प्रस्तुत किये है।

इसलिए वर्धा जिला अंतर्गत आनेवाली गोंड जनजातीय महिलाओ की स्थिति के सम्बन्ध मे अध्ययन करने हेतु मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ और मैने अपने शोध विषय के रूप मे "गोंड जाति में महिलाओ की स्थिति एवं स्वास्थ संबंधी जागरूकाता" का चुनाव किया है। लेकिन शोधकार्य के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं स्थिति से सबन्धित पूर्व अध्ययनो की रूपरेखा प्रस्तुत की जाए।

अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण एवं परिचय

किसी शोध के लिए जब उपकल्पना का निर्माण हो जाता है तो अध्ययन क्षेत्र से शोध से सम्बन्धित तथ्यों का संकलन विभिन्न शोध विधियों द्वारा किया जाता है।

मैने अपने शोध क्षेत्र के अध्ययन के रूप में वर्धा जिला अंतर्गत आने वाले ग्रामों को चुना है। और जनजातीय महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के लिये गोंड जाती के महिलाओं को चुना ।

वर्धा जिला अंतर्गत आने वाले नागठाना ग्राम में गोंड जनजाति की संख्या ज्यादा पायी गयी इसलिये इसका चयन किया गया। इसके लिये अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय देना प्रासंगिक है। अस्तु, अध्ययन क्षेत्र का सक्षिप्त परिचय निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

'नागठाना' नागठाना ग्राम के नाम के पिछे एक कहावत है, उस ग्राम के बुजुर्गों के अनुसार इस ग्राम में पहले ज्यादा सांप निकला करते थे इसलिए वहाँ नाग देवता का छोटा सा मंदिर बनाया गया। जब एक सांप निकलता था। अगर उसे मारने या पकड़ने गये तो उसकी जगह आठ दस सांप दिखाई देते थे। इसलिये वहां सांप को मारा नही जाता एवं उसका नाम नागठाना ग्राम रखा गया।

भारत राजकीय दृष्टि से स्वतंत्र होते हुए भी भौगोलिक दृष्टि से भारतीय उपखंड का एक भाग है। भारतीय उपखंड में भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बाग्लादेश व श्रीलंका इन

देशो का समावेश होता हैं। भारतीय उपखंड पूर्व गोलार्द्ध में साधारणत: मध्यवर्ती है। उत्तर दिशा में हिमालय की उत्तुंग चोटियाँ और तीनो दिशा से हिंद महासागर का भाग जिससे भारत को नैसर्गिक संरक्षण प्राप्त हुआ हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87263 चौ. कि.मी. है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के पुर्व दिशा में मध्य प्रदेश, ईशान्य दिशा में छत्तीसगढ़, पश्चिम दिशा में अरब सागर, उत्तर दिशा में मध्यप्रदेश, दक्षिण दिशा में कर्नाटक एंव गोवा राज्य हैं। वायव्य दिशा में गुजरात एवं दादरा नगर हवेली यह केंद्रशासित प्रदेश है। आग्नेय दिशा में आंध्रप्रदेश स्थित है। महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा सीमा मध्यप्रदेश राज्य से मिलती है तो सबसे कम सीमा गोवा राज्य से । भारत के कुल क्षेत्रफल का 8.36 प्रतिशत हिस्सा महाराष्ट्र राज्य है । प्रशासनिक सरलता की दृष्टी से महाराष्ट्र को छह प्रशासकीय भागों में बांटा गया है। महाराष्ट्र में कुल 35 जिले हैं। सबसे बडा जिला अहमदनगर है। जो सबसे छोटा जिला मुंबई उपनगर है। 2011 की जनगणना अनुसार महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या 8,68,78,627 इतनी है। जनसंख्या की दृष्टी से महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। भारत में कुल सवा लाख से ज्यादा गाँव हैं। उसमें से 43,722 ग्राम महाराष्ट्र में है। भारत को कुल 7517 कि.मी. का समंदर किनार मिला है। तो महाराष्ट्र को 720 कि.मी का समुद्री तट मिला है।

गोदावरी महाराष्ट्र की एक प्रमुख नदी हे। भामा, कृष्णा, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, नर्मदा, तापी, दारणा, मांजरा, प्रवरा, सिंधकणा, मुला, शिवणा, प्रणहिता, इंद्रवती, नीर, माण, घोड, कुकरी, पवना, बोर, कायना, वारणा,पंडागंगा, दुधगंगा, देवगंगा, उल्हास, दमणगंगा, आदि महाराष्ट्र की प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों के तटों पर पर्यटन एवं तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है।

महाराष्ट्र के मृदा के प्रमुख छह प्रकार माने जाते है। कोंकण किनारे की गाल की मृदा, लाल रेताड मृदा, काली मृदा, ईशान्य क्षेत्र की चिकनी मृदा, ईशान्य क्षेत्र की चिकनी मृदा,

जांभी मृदा, यह मृदा के प्रमुख प्रकार हैं । नदियों में आनेवाली बाढ, स्थलांतरीत खेती, जमीन का उतार, जोर की हवा, वर्षा आदि मृदा धुप के प्रमुख कारण है।

महाराष्ट्र के कुल क्षेत्रफल में से 20.10 क्षेत्र पर वन व्याप्त है। वनो के भरती-ओहोटी पट्टी की जंगले, उष्णकटिबंधीय पान झेडीवन, शुष्क प्रदेश के वन आदि प्रमुख प्रकार है।

महाराष्ट्र के वनों में चिप्पी, मारांडी, पिसा, अंजन, हिरडा, फणस, जांभुल, आम, बंबू, तिवस, किंदल, कुसुम, महु, ऑवला, सेमल, लेंडीया खैर, बेल, हल्दी, निर्मठी, निम आदि प्रमुख वृक्ष है।

भारत में कुल खनिज उत्पाद में से 3.3 प्रतिशत खनिज उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। भारत के कुल मैगनीज उत्पाद का 40 प्रतिशत उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। इसके अलावा लोह, बॉक्साईट, क्रोमाईड, टंगस्टन, चुना खडक, सिलीका, इल्मेनाइट, कायनाइट, तांबा आदि प्रमुख खनिज महाराष्ट्र में पाये जाते है।

महाराष्ट्र कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की 57.60 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। गावों की 80 जनसंख्या खेती पर निर्भर है। खेती से ज्वार, कपास, घावल, गेंहु, बाजरा, तुअर, गन्ना, घना, मका, सोयाबीन, उडद, मुंग, मटका, मसुर, फल्ली, सुरजफुल, तील, करडई, जवस, एरंड, करेला, आम, नारीयल, काजु, केले, अंगतर, संतरे, मोसंबी, डालींब, बेर, चिकु, सिताफल, अमरूद, फणस, शिघांडा, इमली, हल्दी, प्याज, मिर्च, टोमॅटो, आदि फसलो का उत्पादन किया जाता है।

महाराष्ट्र में कृषि विकास हेतु घार कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना को गयी है। राज्य में महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, गहुरी (अहमदनगर, 1868)। डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ (अकोला, 1868)। डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकाण् कृषि विद्यापीठ दापोली (रत्नागिरी 1872)। मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ (परभणी, 1872)। महाराष्ट्र का पहला पशु एवं मछली विज्ञान विद्यापीठ नागपुर में कार्यरत है।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बिजली निर्माण कोयले से होता है। उसके बाद जल स्त्रोत, अणु स्त्रोत एवं पवन द्वारा बिजली निर्माण होता है। राज्य में चंद्रपुर, नागपुर, अकोला, बीड, ठाणा, जलगाँव, आदि जिलो में औष्णिक बिजली निर्माण केंद्र कार्यरत है। राज्य में खापोली (रायगड) एक प्रमुख जल विद्युतनिर्माण केंद्र है। तारापुर (ठाणे) यह पहला अणु उर्जा प्रकल्प है। जमसांडे (सिंधुदुर्ग) यह राज्य का पहला पवन विद्युत निर्माण केंद्र कार्यरत है।

राज्य में गंगापुर, मानार प्रकल्प, जायकवाडी प्रकल्प, भाटधर जलाशय, वीर धरण, भम प्रकल्प, उजनी प्रकल्प, कोयना प्रकल्प, इंधगंगा प्रकल्प, राधानगरी प्रकल्प, पैनगंगा प्रकल्प, बांध योजना आदि प्रकल्पों, बोर प्रकल्प कोटपूर्णा प्रकल्प, नलगंगा प्रकल्प, गिरणा योजना आदि प्रकल्पों द्वारा खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था एवं बिजली का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा तली, सरोवर एवं नदियां, कुओं द्वारा भी सिंचाई की व्यवस्था की गयी है।

महाराष्ट्र राज्य उद्योग में अग्रसर है। कपड़ा उद्योगों में भी महाराष्ट्र अग्रसर है। महाराष्ट्र राज्य में पहला मिल 1854 में मुबंई में शुरू हुआ था । यह मिल कावसजी नानाभाई दावर ने शुरू किया था । रसायन, उद्योग, तेल उद्योग, खादय उद्योग, बेकरी, शक्कर उत्पादन, आदि उद्योग महाराष्ट्र में बडी मात्रा में किये जाते है। मुंबई, नागपुर, पुणे, ठाणे, आदि प्रमुख औद्योगिक शहर है। राष्ट्रीय महामार्ग 3,4,6,7,8,13,16 एवं 50 महाराष्ट्र से होकर गुजरते है। राज्य में रेल यातायात का भी विकास हुआ है। मुंबई कल्याण, पुणा, भुसावल, परभणी, वर्धा, अकोला, बडनेरा, नागपुर, मनमाड यह प्रमुख रेलवे जंक्शन है। राज्य के कुल रेलमार्ग में से 30.40 रेलवे का विद्युतीयकरण हुआ है। मध्येल एवं पुर्व पश्चित रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। राज्य मे दुरसंचार साधनों का भी विकास हुआ है। महाराष्ट्र में कुल 12.860 पोस्ट आफिस (डाकघर) है। राज्य में 2 अक्टूबर 1872 से मुंबई में दुरदर्शन केंद्र शुरू किया गया था। टेलीफोन का भी विस्तार हुआ है। न्युजपेप, मासिक, साप्ताहिक आदि प्रमुख दुरसंचार माध्यमों का भी विकास हुआ है।